भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1673
सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के अंतर्गत जारी की गई धनराशि

1673. श्री सुनील बाबूराव मेंढे:
श्री पिनाकी मिश्राः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की महाराष्ट्र सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित, स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में क्या उपलब्धि हासिल की गई है;

(ग) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत विस्तार अवधि के दौरान पंजीकृत नए कर्मचारियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विस्तार अवधि के दौरान आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत दावा की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 30 जून, 2021 से 31 मार्च, 2022 की विस्तार अवधि के दौरान आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत किए गए वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): से (ङ): महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत लाभार्थियों की संख्या अनुबंध-**I** में दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान योजना के लिए 6400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना के प्रारंभ से दिनांक 30.01.2023 तक 8773.00 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं और इस योजना के तहत 60.26 लाख लाभार्थियों को 8483.75 करोड़ रुपये के लाभ की राशि उपलब्ध कराई गई है।

विस्तार अवधि दिनांक 30 जून, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान एबीआरवाई के तहत पंजीकृत नए कर्मचारियों और दावा की गई निधियों/किए गए वास्तविक व्यय का ब्यौरा अनुबंध- II में दिया गया है।

एबीआरवाई योजना के तहत पंजीकृत सभी लाभार्थियों को पंजीकरण की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए लाभ दिया जाता है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 13.02.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1673 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या (दिनांक 30.01.2023 तक)	
राज्य का नाम	**लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या**
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	477
आंध्र प्रदेश	166355
अरुणाचल प्रदेश	514
असम	19777
बिहार	28130
चंडीगढ़	64616
छत्तीसगढ़	84951
दिल्ली	226691
गोवा	20880
गुजरात	642466
हरियाणा	398413
हिमाचल प्रदेश	83192
जम्मू और कश्मीर	19349
झारखंड	62608
कर्नाटक	484739
केरल	96063
लद्दाख	186
मध्य प्रदेश	204334
महाराष्ट्र	975696
मणिपुर	1689
मेघालय	1210
मिजोरम	377
नागालैंड	234
ओडिशा	89148
पंजाब	170498
राजस्थान	325530
सिक्किम	3764
तमिलनाडु	815091
तेलंगाना	281763
त्रिपुरा	5440
उत्तर प्रदेश	431620
उत्तराखंड	93315
पश्चिम बंगाल	226794
कुल योग	**6,025,910**

स्रोतः ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अनुबंध- II

लोक सभा के दिनांक 13.02.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1673 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 30 जून, 2021 से 31 मार्च, 2022 अवधि के दौरान एबीआरवाई के तहत पंजीकृत नए कर्मचारियों और दावा की गई निधियों/वास्तविक व्यय का विवरण

क्र.स.	राज्य का नाम	नए कर्मचारी पंजीकृत (दिनांक 30-06-21 से 31-03-22)	लाभ की राशि (दिनांक 30-06-21 से 31-03-22) (रुपये में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	182	4,873,386
2	आंध्र प्रदेश	99,898	1,037,921,886
3	अरुणाचल प्रदेश	242	811,408
4	असम	14,156	107,839,962
5	बिहार	15,994	226,185,737
6	चंडीगढ़	35,541	368,550,662
7	छत्तीसगढ़	47,798	539,765,182
8	दिल्ली	140,594	1,192,288,184
9	गोवा	11,560	109,455,282
10	गुजरात	366,850	3,510,149,352
11	हरियाणा	241,439	2,190,923,532
12	हिमाचल प्रदेश	43,983	472,471,424
13	जम्मू और कश्मीर	9,885	152,362,277
14	झारखंड	35,490	426,324,321
15	कर्नाटक	291,270	2,962,816,102
16	केरल	54,919	628,570,835
17	लद्दाख	189	1,293,102
18	मध्य प्रदेश	116,535	1,344,035,929
19	महाराष्ट्र	557,756	5,292,139,211
20	मणिपुर	756	6,590,037
21	मेघालय	471	17,018,073
22	मिजोरम	132	5,210,124
23	नागालैंड	99	1,189,016
24	ओडिशा	49,216	617,904,692
25	पंजाब	89,006	1,206,932,083
26	राजस्थान	187,928	1,920,662,004
27	सिक्किम	1,790	27,643,619
28	तमिलनाडु	488,655	4,009,094,123
29	तेलंगाना	170,780	1,410,358,616
30	त्रिपुरा	2,654	37,037,724
31	उत्तर प्रदेश	246,399	2,889,751,140
32	उत्तराखंड	53,023	540,999,663
33	पश्चिम बंगाल	142,194	1,240,445,921
योग		**3,517,384**	**34,499,614,609**

स्रोतः ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय